

कार्यालय
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या - प्राथमिक/परिषद/सम्बद्धता/2020/1975

लखनऊ दिनांक 15-4-2020

-कार्यालय स्तर-

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मली कानूनियन ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैशिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की सम्बद्धता में परिषद अधिनियम में संशोधन किया गया। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अर्जित कई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर से सम्बद्धता संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता सुद्धि सहित अर्जित सत्र पर विचार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अन्तर्गत से सम्बद्धता समिति की बैठक के मध-3 में डिप्लोमा इन फार्मली पाठ्यक्रम स्थापित करने वाली पूर्व से सन्तुष्ट संस्थाओं का उल्लेख रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा पहल विचार-विमर्श का निर्णय लिया गया।

“ निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मली पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सन्तुष्ट हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठरीआईओ द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठरीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्पूर्ण अर्जित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठरीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अन्तर्गत में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।”

दिनांक 14-08-2020 को आर्य सम्बद्धता समिति की बैठक में लिए गये यथावत् निर्णय के अन्तर्गत में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु तिन्नांकित शर्तों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं अर्जित अर्जित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठरीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्रवेश क्षमता	पीठरीआईओ/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्रवेश क्षमता
1	डी. विन्सेन्स कॉलेज ऑफ फार्मली लखनऊ, एलायन्स अकादमी।	डिप्लोमा इन फार्मली	10	10

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था सम्बद्धता/सम्बद्धता/पीठरीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 विनियमवली-2014 तथा अन्य निर्मित विनियम एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निर्देशक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन महीने इन्टेल पाठ्यक्रम हेतु रु. 30,000/- प्रतिवर्ष का वार्षिक फार्मली पाठ्यक्रम हेतु रु. 20,000/- प्रतिवर्ष एवं एक संस्था को वार्षिक पाठ्यक्रम हेतु प्रथम फार्मली पाठ्यक्रम के अन्तर्गत, रु. 10-12,500.00 इन्टेल द्वारा ही इन्टेल सत्र/सत्र में प्रदत्त किए जायेंगे। संस्थाओं को निर्धारित सत्र/परिषदों के अन्तर्गत में सम्बद्धता प्रदान की

कार्यालय,

संघीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय ज्ञापन:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्मरी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैफिक सं. 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किये जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने हेतु दिनांक: 18/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आदेशित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संघीय संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सर्वांगीण विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्न शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंतर्गत प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1959-MAA PITAMBRA COLLEGE OF PHARMACY, NAWALPUR, ETMADPUR, AGRA

क्र.सं	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, संशोधित विनियमवली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 32150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मरी पाठ्यक्रम हेतु ₹0-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मरी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्यन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु कोर्स का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को 13050 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उच्च समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किये जाने विनियमवली-2003 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ दिनांक: 30/08/2022

-कार्यालय शेष-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंग्लैंड, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु दिल्ली/मा.कारीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के तमजेत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30090 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक-संयुक्त हुई बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पारदर्शक प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मनों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30090 लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

संस्था का कोड एवं नाम : 1959-MAA PITAMBRA COLLEGE OF PHARMACY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	40	40

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, रीमेसन विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्मित सारनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शूलक निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित शूलक तीन वार्षिक 3-बी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150,00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹० 22500,00/- प्रतिवर्ष शूलक को प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शूलक के सम्बन्ध में समय-समय पर सारना द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यावाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस को न्यूनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित सारनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शूलक जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित विधिनियमों/अधिनियमों/संसादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 30090 लखनऊ, प्रदेश परीक्षा परिषद, 30090 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30090 द्वारा बनये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में सम्बन्धित उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई शक व्यक्त किया जाता है तथा दापर याद के संबंध में ना. न्यायलय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो सम्बन्धित प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवेदित काउन्सिलिंग प्रारंभ हो. के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की